



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 168] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 30, 1980/भाद्र 8, 1902
No 168] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 30, 1980/BHADRA 8, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह संकलन को रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं० 53-ई वी सी (पी एन)/80

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 1980

निर्यात व्यापार नियंत्रण

विषय — 1980-81 वर्ष के लिए बाबल की निर्यात नीति।

मिशन सं० 40(18)/80-ई 2.—उपर्युक्त विषय पर सार्वजनिक सूचना सं० 33-ई० टी० सी० (पी० एन०)/80 दिनांक 5 जुलाई, 1980 के साथ पढ़ी जाने वाली सार्वजनिक सूचना सं० 29-ई० टी० सी० (पी० एन०)/80 दिनांक 18 जन 1980 के अनुच्छेद 3 की धीरे धीरे दिलाया जाता है।

2 यह निश्चय किया गया है कि पहले अधिसूचित मान अधिकरणों के अतिरिक्त निम्नलिखित दो और अधिकरणों को भी 1980-81 के दौरान मोटे बाबल, उत्तम और अति उत्तम प्रकार के बाबल के निर्यात के लिए उसमें दी गई शर्तों के अधीन शामिल किया जाए —

(1) मध्य प्रदेश निर्यात निगम, मध्य प्रदेश।

(2) मैसूर सेल्स इन्टरनेशनल, कर्नाटक।

3 तबनुसार, 1980-81 की निर्यात नीति पुस्तक में नीचे निर्दिष्ट उपयुक्त स्थानों पर निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा —

- पृष्ठ 11, क्रम सं० 20, कॉलम 3
1. 2(ख) क्रम सं० (7) के पश्चात् निम्नलिखित श्रमिकरणों को जोड़ा जाएगा —
 - (8) मध्य प्रदेश निर्यात निगम, मध्य प्रदेश
 - (9) मैसूर सेल्स इन्टरनेशनल, कर्नाटक
 - 2 (3) क्रम सं० (7) के पश्चात् निम्नलिखित को श्रमिकरणों को जोड़ा जाएगा —
 - (8) मध्य प्रदेश निर्यात निगम, मध्य प्रदेश।
 - (9) मैसूर सेल्स इन्टरनेशनल, कर्नाटक।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 53-ETC(PN)/80

New Delhi, the 30th Aug., 1980

EXPORT TRADE CONTROL

Subject : Export Policy of Rice for the year 1980-81.

File No. 40/18/80-EII.—Attention is invited to Paragraph 3 of Public Notice No. 29-ETC (PN)/80 dated the 18th June, 1980, read with Public Notice No. 33 -ETC (PM)/80 dated the 5th July, 1980, on the above subject.

2. It has been decided to include the following two more Agencies, in addition to seven already notified, for export of Coarse Rice, and fine and super-fine varieties of Non-Basmati rice, during the year 1980-81, subject to the conditions mentioned therein :—

- (i) M.P. Export Corporation, M.P.
- (ii) Mysore Sales International, Karnataka.

3. Accordingly, the following additions will be made in the Export Policy Book 1980-81, at appropriate places, as indicated below :—

- Page 11, S.No. 20, Column 3.
1. 2(b): The following Agencies will be added after S. No (vii):—
 - (viii) M.P. Export Corporation, M.P.
 - (ix) Mysore Sales International, Karnataka.
 2. (3) The following Agencies will be added after S.No (vii):—
 - (viii) M.P. Export Corporation, M.P.
 - (ix) Mysore Sales International, Karnataka.

MANI NARAYANSWAMI,
Chief Controller of Imports & Exports.